

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

- आदेश :-

पार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बनेडिया व मूअनि बनेडिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब तहसीलदार रेलमगरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान म-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ढीली तहसील रेलमगरा व जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 220 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

रतनलाल उत्र दत्त शर्मा

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>ढीली</u>	<u>220</u>	रतनलाल उत्र दत्त शर्मा <u>M.A.G. B शर्मा</u> <u>उरीछ</u>	<u>R.G. B. शर्मा</u> <u>उरीछ</u>

5
पीठासीन अधिकारी

सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) लक्टर

रेलमगरा

दिनांक - 3/10/25

क्रमांक - 1/राजस्व/2025/90
प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री रतनलाल उत्र दत्त शर्मा का सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

5
पीठासीन अधिकारी

सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) लक्टर

रेलमगरा